न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	जीसीएमएस नंबर 2023 / 103 मैन्युअल नंबर 83 / 2023
रजु दिनांक:	:–	27.09.2023

1. रामकिशन उर्फ किशनलाल पुत्र हरदेव उर्फ हरदेवा बैरवा उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम संवासा तह0 लालसोट जिला दौसा (मृतक)
   1/1 राजकुमार पुत्र रामकिशन उर्फ किशनलाल बैरवा
   1/2 सीता पत्नी रामकिशन उर्फ किशनलाल बैरवा निवासी संवासा तह0 लालसोट हाल तह0 निर्झरना हालवासी दिल्ली
   1/3 पुजा पुत्री रामकिशन उर्फ किशनलाल बैरवा निवासी संवासा तह0 लालसोट हाल तह0 निर्झरना हालवासी मकान नं0 104, नार्थ वेस्ट दिल्ली।
   1/4 नीतू पुत्री रामकिशन उर्फ किशनलाल बैरवा निवासी संवासा तह0 लालसोट हाल तह0 निर्झरना हालवासी साउथ वेस्ट दिल्ली।

(अपीलान्ट)

बनाम

1. तहसीलदार, लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा हाल तह0 निर्झरना
2. उपपंजीयक लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा हाल तह0 निर्झरना
3. किस्तूरी उर्फ मंगली पुत्री हरदेव उर्फ हरदेवा पत्नी मोहनलाल बैरवा निवासी ग्राम उगरियावास तह0 लालसोट जिला–दौसा।

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः– 01. अपीलांट की ओर से : श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से : श्री चन्द्रभानसिंह एडवोकेट

<u>निर्णय</u> दिनांकः 07/07/2025

<u>अपील विरुद्ध निर्णय नामांतरण संख्या 1049 वाकै ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा</u>

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट विरुद्ध नामांतरण संख्या 1049 ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 इस आशय की पेश की गई कि मृतक अपीलांट रामकिशन उर्फ किशनलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 3

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

आपस में भाई बहिन है जो हरदेव उर्फ हरदेवा पुत्र छोटू की सन्तान है। मृतक रामकिशन उर्फ किशनलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पिता की गैर खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 625/218 रकबा 6 बीघा वाकै ग्राम संवासा तहसील लालसोट में स्थित है। जिस पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के चारो तरफ डोल सुरक्षार्थ लगा रखी है। हरदेव उर्फ हरदेवा की मृत्यु दिनांक 02.12.1995 को हो चुकी है उनकी विरासत का नामान्तकरण मृतक अपीलान्ट रामकिशन उर्फ किशनलाल व रेस्पोडेन्ट नं0 3 के नाम खुलना चाहिए था। परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 3 ने राजस्व ऐजेन्सी से मिलकर अपने स्वयं के नाम खुलवा लिया। अतः प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 1049 ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अपीलांट ने अभिवचन किए है कि तत्कालीन तहसीलदार लालसोट द्वारा हरदेव उर्फ हरदेवा पुत्र छोटू की मृत्यु पश्चात् उसके विधिक वास्तविक वारिसान की जांच किए बिना तथा अपीलांट को नोटिस दिए बिना ही जानबूझकर अविधिक प्रकार से उक्त नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया जो निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद व प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाने व नामान्तकरण संख्या 1049 ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गई। प्रश्नगत नामा0 से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया गया एवं रिकार्ड प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलान्ट रामकिशन उर्फ किशनलाल की मृत्यु दिनांक 18.01.2021 को होना जाहिर करते हुए प्रार्थीयान/अपीलांटस 1/1 लगा0 1/4 की ओर से कायम मुकाम प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधि0 पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकाम दिनांक 16.12.2024 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयान/अपीलांटस 1/1 लगा0 1/4 को रिकॉर्ड पर लिया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि उक्त नामांतरण अविधिक होने के कारण निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीलांट रामकिशन के पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पेश करते हुए कथन किए कि उक्त दस्तावेजों में रामकिशन के पिता का नाम हरदेव है। अधिवक्ता अपीलांट ने सरपंच ग्राम पंचायत संवासा के सजरा दिनांक 26.01.2024 को गलत करार देते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाने व नामान्तकरण संख्या 1049 ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने बहस के दौरान सरपंच ग्राम पंचायत संवासा के सजरा दिनांक 26.01.2024 को सही ठहराते हुए रेस्पो0 सं0 3 को ही हरदेव उर्फ हरदेवा का एक मात्र वारिस करार दिया है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 3 ने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की प्रतिलिपि राशन कार्ड में रेस्पोडेन्ट सं0 3 किस्तुरी का नाम अंकित नही होने पर आपत्ति जाहिर

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

करते हुए प्रश्नगत नामांतरण संख्या 1049 ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 को सही ठहराकर अपील सव्यय खारीज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित है अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 1049 ग्राम संवासा तस्दीक दिनांक 07.02.2014 द्वारा तहसीलदार लालसोट को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार निर्झरना को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का मौका दिया जाकर विधिक वारिसान के नाम पुनः विरासत के नामान्तकरण बाबत निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07/07/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
लालसोट,दौसा

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)